न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 57/2020 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

अनवान

1. गोपाल सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी बीण का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. राम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी बीण का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. खीम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी बीण का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4. बेबी पुत्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी बीण का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
5. मीरा पुत्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी बीण का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।

– वादीगण

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी निम्ब सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी गोमा का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. खीम सिंह पुत्र लखमा सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी गोमा का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
3. तेजपाल सिंह पुत्र लखमा सिंह रावत आयु व्यस्क निवासी गोमा का बाड़िया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा।
4.. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार करेड़ा।

–प्रतिवादीगण

———

<u>वादपत्र अन्तर्गत धारा – 53, राज0 काश्तकारी अधिनियम बाबत् विभाजन आराजियात</u>

उपस्थितः–

01 श्री अशोक कुमार लखारा अधिवक्ता वादी
प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:35:06 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 22.03.2022

वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 – राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर ग्राम बड़ी का बाड़िया पटवार हल्का थाणा के खाता संख्या 40 में अंकित आराजी संख्या 663 रकबा 0.3667 हैक्टयर व 667 रकबा 1.0244 हैक्टयर कुल किता 2 रकबा 1.3911 हैक्टयर भूमि वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रेकार्ड़ में खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड़ है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 अपने हक हिस्से

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है परन्तु प्रतिवादीगण सहमति से विभाजन को तैयार नहीं होने से यह वाद पत्र प्रस्तुत कर विधिवत विभाजन की इस्तदुआ की।

वादीगण का वादपत्र प्रस्तुत होने पर पंजीबद्ध कर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी अधिवक्ता वादी द्वारा पेश करने से तलबी हेतु जारी किए गए। रजिस्टर्ड एडी प्रेषित दिनांक से विहित समयावधि एक माह व्यतीत होने पर भी प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए। नियत दिनांक को प्रतिवादीगण को विधिवत् तीन मर्तबा रूक रूक कर आवाजें लगाई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रतिवादी 01 लगायत 03 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश किए गए। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीगण ने सहमति देते हुए प्रस्ताव अनुसार विभाजन किए जाने का निवेदन किया। तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार वादीगण का वाद न्याय हित में स्वीकार किया गया। अतएवः

आदेश

तहसीलदार करेड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट (विभाजन प्रस्ताव) अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण 01 लगायत 03 के मध्य विभाजन इस प्रकार है –

वादी – गोपालसिंह, रामसिंह, खीमसिंह, बेबी, मीरा पिता लक्ष्मण सिंह रावत सा. बीण का बाड़िया म. देह खातेदार

आराजी नंबर	रकबा	आराजी नंबर	रकबा
663/1	0.0253	667	0.7842
663/2	0.0885	667/1	0.0253

कुल किता 4 रकबा 0.9233 हैक्टयर

प्रतिवादीगण – कमला पत्नी निम्बसिंह 1/3, खीमसिंह पिता लखमा 1/3 तेजपाल पिता लखमा 1/3 रावत सा. गोमा का बाड़िया खातेदार

आराजी नंबर	रकबा
663	0.2529
667/2	0.2149

कुल किता 2 रकबा 0.4678 हैक्टयर

उक्तानुसार भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावें। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:35:06 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

न्यायालय : उपखण्ड़ अधिकारी करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

:: मूल वाद मे डिकी ::
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी :– महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 57/2020 राजस्व वाद
वादपत्र अन्तर्गत धारा– 53 आर.टि.एक्ट

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– बीण का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. रामसिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– बीण का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. खीम सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– बीण का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. बेबी पुत्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– बीण का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा
5. मीरा पुत्री लक्ष्मण सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– बीण का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

——— वादीगण

बनाम

1. श्रीमती कमला पत्नी निम्ब सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. खीम सिंह पुत्र श्री लखमा सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. तेजपाल सिंह पुत्र श्री लखमा सिंह रावत आयु वयस्क निवासी– गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0) ——— प्रतिवादीगण

———

यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व जिजरी वकील वादी श्री अशोक कुमार लखारा मिनजानिब मुददई व प्रतिवादीगण एकपक्षीय मनलाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिकी दी जाती है कि सरहद बडी का बाडिया पटवार हल्का थाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नीचे लिखित आराजियात का निम्नानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन किया जाकर उनके नाम राजस्व रेकार्ड मे अंकन एवं नक्शे मे तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है–

1. ग्राम बडी का बाडिया तहसील करेड़ा

(1) खातेदार का नाम– वादीगण– गोपाल सिंह, रामसिंह, खीमसिंह, बेबी, मीरा पिता लक्ष्मण सिंह रावत सा. बीण का बाडिया मे. देह खातेदार ।

क.सं.	आ0न0	रकबा (हैक्टयर)
1.	663/1	0.0253
2.	663/2	0.0885
3.	667	0.7842
4.	667/1	0.0253
योग	04	0.9233 हैक्टयर

(2) खातेदार का नाम– प्रतिवादीगण कमला पत्नी निम्ब सिंह 1/3, खीमसिंह पिता लखमा 1/3, तेजपाल पिता लखमा 1/3 रावत सा. गोमा का बाडिया

क.सं.	आ0न0	रकबा (हैक्टयर)
1.	663	0.2529
2.	667/2	0.2149
योग	02	0.4678 हैक्टयर

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2023.02.22 17:35:06 IST
Reason: SelfAttested

आज तारीख 22/03/2022 को डिकी मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखंड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा